संख्या-18/2023/333794/2023/63-व0उ0-2023/60(एच)/2016

प्रेषक,

पी0 के0 पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 16 जून, 2023

विषय:- अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-147/सहकारिता अनु0/2023-24 दिनांक 18.05.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0 345.00 करोड़ के सापेक्ष आपके प्रस्तावानुसार रू0 86.25 करोड़ (रूपया छियासी करोड़, पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

2- आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा की जायेगी।

3- प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4- धनराशि का आहरण एकमुश्त न कर अपितु यथावाश्यकता चरणों में किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या-10/2023/716/63व0उ0-2023-60(एच)/2016 दिनांक 06.04.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सुदपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ का होगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

9- धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 86.25 करोड़ (रूपया छियासी करोड़, पच्चीस लाख मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-108-बिजली करघा उद्योग-04-पावरलूम बुनकर विद्युत दर मे छूट की प्रतिपूर्ति-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-18/2023/333794/2023(1)/63-व0उ0-2023 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरशेन लि0, लखनऊ।
5- निदेशक, (वितरण/वाणिज्यिक/कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरशेन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।